

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत... अहमद उल्लाख एव 5.0.0. मुकाम वायड

81-11114 बनाम इदराम वगैर

किस्म मुकदमा वा. प्र. 111, 128 RUALA नं. 357/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05/12/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>यु. नारायण</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RUALA</u></p> <p>राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/02/2020</u> को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
11/02/2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए</p> <p>सकारान उपस्थित। पीठासीन आंध</p> <p>कारी दिगम काया में व्यस्त हैं। जिसल</p> <p>इस्तवा होकर दिनांक <u>19/05/2020</u></p> <p>का हो। <i>(Signature)</i></p>	<p>राजस्थान कास्तकारी (800) वायडु</p>
19/05/2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए</p> <p>सकारान उपस्थित। पीठासीन आंध</p> <p>कारी दिगम काया में व्यस्त हैं। जिसल</p> <p>इस्तवा होकर दिनांक <u>13/07/2020</u></p> <p>का हो। <i>(Signature)</i></p>	
13/07/2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए</p> <p>सकारान उपस्थित। पीठासीन आंध</p> <p>कारी दिगम काया में व्यस्त हैं। जिसल</p> <p>इस्तवा होकर दिनांक <u>23/11/2020</u></p> <p>का हो। <i>(Signature)</i></p>	
23/11/2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए</p> <p>सकारान उपस्थित। पीठासीन आंध</p> <p>कारी दिगम काया में व्यस्त हैं। जिसल</p> <p>इस्तवा होकर दिनांक <u>08/02/2021</u></p> <p>का हो। <i>(Signature)</i></p>	

08/02/2021

पत्रावली पत्रावली वरुण राज्य परिकरन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी को पत्रावली दिनांक 19/04/2021
अतः पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक
डॉ. प्रेम शर्मा

19/04/2021

पत्रावली पत्रावली वरुण राज्य परिकरन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी को पत्रावली दिनांक 02/06/2021
अतः पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक
डॉ. प्रेम शर्मा

02/06/2021

पत्रावली पत्रावली वरुण राज्य परिकरन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी को पत्रावली दिनांक 13/09/2021
अतः पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक
डॉ. प्रेम शर्मा

13/09/2021

पत्रावली अतः पत्रावली वरुण राज्य परिकरन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी को पत्रावली दिनांक 01/12/2021
अतः पत्रावली इत्यादि होकर दिनांक
डॉ. प्रेम शर्मा

01/12/2021

पत्रावली अतः पत्रावली वरुण राज्य परिकरन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी को पत्रावली दिनांक 10/01/2022 डॉ. प्रेम शर्मा

10/01/2022

पत्रावली अतः पत्रावली वरुण राज्य परिकरन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी को पत्रावली दिनांक 14/02/2022 डॉ. प्रेम शर्मा

सहायक कलेक्टर
(SDO)

ख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तापील
में जारी हुए

14/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों
के गोपित तामिल खेदा प्राप्त जिनके
शामिल पत्रावली विना जमा/ विप्रार्थीगण
बावजुद तामिल अनुपस्थित/ तामिल
समझ तीन बार कोकाज लगाई गई फिलिम
कोकाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी-
गण स्वयं मा उनही कोरे ले डीई प्रधि-
वक्ता उपस्थित नहीं हुआ/ विप्रार्थीगणों
गणों के बिलब एडवोकेट कार्यावाही प्रमल
में लाई जाती है अतः पत्रावली पत्रा-
वली दिनांक-05/05/2022 को पेश की/

05/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद
तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

रहायक कलक्टर
(S.D.C) कायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 601

दिनांक : 05/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा 07,
जाति जाट, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिडा (बाडमेर)


1. हरुराम पुत्र राऊराम वगैरा 20,
जाति जाट, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिडा (बाडमेर)


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 357 / 2019

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - रतेऊ, पटवार मण्डल - रतेऊ, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 26 रकबा 45.00 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। उपरोक्त होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।





सहायक कलेक्टर
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 05/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 602 - 606

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कानाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा 07,
4. विप्रार्थी श्री हरुराम पुत्र राऊराम वगैरा 20,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।


उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु